संख्या-2/2017/144/49-1-2017-8(56)/13टीसी

प्रेषक,

प्रतीक संजर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 08 मार्च, 2017

विषय- उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग हेतु सृजित 106 पदों की वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिनांक 28-02-2018 तक) की क्रमागत स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-1113/रा0स0स0नि0आ0(स्टाफिंग पै0-3) दिनांक 02 फरवरी, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-156/49-01-2014-08(56)/13टीसी-11 दिनांक 06 फरवरी, 2014 द्वारा उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग हेतु 106 पद सृजित किये गये थे तत्पश्चात शासनादेश संख्या-1463/49-01-2016-8(56)/13टीसी दिनांक 08 सितम्बर, 2016 द्वारा उक्त पदों की वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये दिनांक 28-02-2017 तक निरन्तरता की स्वीकृति निर्गत की गयी है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2014 द्वारा उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग हेतु सृजित 106 पदों की वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये दिनांक 28-02-2018 तक निरन्तरता की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त पद धारकों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतन, महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

4- उक्त पर आने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-11-उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92 दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 में प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2017/144(1)/49-1-2017-08(56)/13टीसी तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश।
6- मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग।
7- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनु0-2/बजट अनु0-2/सहकारिता अनुभाग-3/वेतन आयोग अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।